रजिस्ट्री सं डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 109] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 4, 1985/फाल्गुन 13, 1906
No. 109] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 4, 1985/PHALGUNA 13, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 4 मार्च, 1985

का. आ. 177 (अ)/18चक/18कक/आई. डी. आर. ए./85 :—केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं. का. आ. 128 (अ)/18चक/18ककक/आई. डी आर. ए./73, तारीख 5 मार्च, 1973 द्वारा व्यक्तियों के निकाय को (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है) मैसर्स कृष्णा सिलिकेट एण्ड ग्लास वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम का सम्पूर्ण परिसर 5 मार्च, 1973 से पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 146 (अ)/18चक/18कक/आई. डी आर. ए./78, तारीख 3 मार्च, 1978, सं. का. आ. 145(अ)/18चक/18कक/आई. डी आर. ए./80, तारीख 5 मार्च, 1980, सं. का. आ. 144(अ)/18चक/18कक/आई. डी. आर. ए./81, तारीख 4 मार्च, 1981, सं. का. आ. 685 (अ)/18चक/18कक/आई डी. आर. ए./81, तारीख 4 सितम्बर, 1981, सं. का. आ. 123(अ)/18चक/18-ककक/आई डी. आर. ए./82, तारीख 4 मार्च, 1982, सं. का. आ. 649 (अ)/18चक/18कक/आई. डी. आर. ए./82, तारीख 4 सितम्बर, 1982, सं का. आ. 631 (अ)/18चक/18-कक/आई. डी. आर ए /83, तारीख 3 सितम्बर, 1983, सं. का. आ. 950 (अ)/18चक/18कक/आई. डी. आर. ए./83, तारीख 21 दिसम्बर, 1983 तथा का. आ. 966 (अ)/18चक/18-कक/आई. डी. आर. ए /84, दिनांक 28 दिसम्बर, 1984 द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को उक्त औद्योगिक उपक्रम का 4 मार्च, 1985, तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, अतिरिक्त अवधि के लिए प्रबन्ध करते रहने के लिए प्राधिकृत किया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने, अपनी यह राय होने पर कि सर्वसाधारण के हित में यह समीचीन है कि प्राधिकृत व्यक्ति उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध करना जारी रखे, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-चक की उप-धारा (2) के परन्तुक के अधीन एक आवेदन कलकत्ता उच्च न्यायालय को किया था, जिसमें यह प्रार्थना की गई थी कि ऐसा प्रबन्ध तारीख 4 जून, 1985 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, की और अवधि के लिए जारी रखा जाए,

और उक्त उच्च न्यायालय ने अपने तारीख 4-3-1985 के आदेशानुसार प्राधिकृत व्यक्ति को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध 4 जून, 1985 तक, की और अवधि तक जारी रखने के लिए अनुज्ञात कर दिया था ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 18-क के साथ पठित धारा 18-क की उप-धारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत व्यक्ति को निदेश देती है कि वह तारीख 5 मार्च, 1985 से 4 जून, 1985 तक, की और अवधि के लिए उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध करना जारी रखे ।

[फा. सं. 2(1)/80-सी. यू. एस.]

पी. मुरारी, अपर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY & COMPANY AFFAIRS

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 4th March, 1985

S.O. 177(E)|18FA|18AA|IDRA|85.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 128(E)|18FA|18AA|IDRA|73, dated the 5th March, 1973, the Central Government had authorised a body of persons (hereinafter referred to as the authorised person) to take over the management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs Krishna Silicate and Glass Works Limited, Calcutta, for a period of five years from the 5th March, 1973.

And whereas by the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 146(E)|18FA|18AA|IDRA|78, dated the 3rd March, 1978, No. S.O. 145(E)|18FA|18AA|IDRA|80, dated the 5th March, 1980, No. S.O. 144(E)|18FA|18AA|IDRA|81, dated the 4th March, 1981, No. S.O. 685(E)|18FA|18AA|IDRA|81, dated the 4th September, 1981, No. S.O. 123(E)|18FA|18AA|IDRA|82, dated the 4th March, 1982, S.O. 649(E)|18FA|18AA|IDRA|82, dated the 4th September, 1982, No. S.O. 631(E)|18FA|18AA|IDRA|83, dated the 3rd September, 1983 and S.O. 950(E)|18FA|18AA|IDRA|83, dated the 31st Dec., 1983, and S.O. 966(E)|18FA|18AA|IDRA|84, dated the 28th December, 1984, the Central Government authorised the authorised person to continue to manage the said Industrial Undertaking for further period upto and inclusive of 4th March, 1985.

And whereas the Central Government, being of the opinion that it was expedient in the interest of general public that the authorised persons should continue to manage the said industrial undertaking, made an application under the proviso to sub-section (2) of section 18FA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), to the Calcutta High Court praying for the continuance of such management for a further period upto 4th June, 1985.

And whereas the said High Court by its Order dated the 4th March, 1985 permitted the authorised person to continue to manage the said industrial undertaking for a further period upto 4th June, 1985.

And, now in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18FA, read with Section 18AA, of the said Act, the Central Government hereby directs the authorised person to continue to manage the said industrial undertaking for a further period from 5th March, 1985 to 4th June, 1985.

[F. N. 2(1)|80-CUS]

P. MURARI, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985